

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी।

**जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) : महोदय, मैं पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 8938A/17/23]

**12.02½ hrs**

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chain*)

माननीय सभापति : डॉ. वी.के.सिंह जी।

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री** (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5533(अ) जो 29 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-548 ग के, उसमें उल्लिखित, चार लेन परियोजना खंडों के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 5534(अ) जो 29 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बीओटी (पथकर) आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के कागल-सतारा खंड को छह लेन करने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

- (तीन) का.आ. 5840(अ) जो 13 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-347ग के खालघाट से सरवरदेवला सड़क खंड की 2/4 परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 5948(अ) जो 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 (नया एनएच-27) के लखनऊ-अयोध्या खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-56 एएंडबी के लखनऊ बाइपास खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 5949(अ) जो 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के अमरावती-चिखली खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 6012(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की सीमाओं पर अमरा मार्ग से 6/8 लेनों और वर्तमान एनएच-48 (नया एनएच-348) (ए1-ई खंड) (अब एनएच-548) एसएच-54 के चौड़ा करने की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 6013(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 (पुराना एनएच-6) के तरसोड से फागने खंड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 6067(अ) जो 27 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-363 के मनचेरियल से रेपेल्लेवाडा खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 6167(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर सितारगंज-टनकपुर खंड की पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 158(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-160 के सिन्नार से शिरडी खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 8939/17/23]

(ग्यारह) का.आ. 256(अ) जो 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-319 (पुराना एनएच-30) के आरा से पररिया खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 257(अ) जो 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-354ख के करतारपुर गलियारे और एनएच-354 के रामदास से गुरदासपुर खंड की 2/4 परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 258(अ) जो 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-29 पर वाराणसी से गोरखपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 268(अ) जो 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-363 पर रेपेल्लेवाडा से तेलंगाना-महाराष्ट्र सीमा की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 269(अ) जो 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-29 पर वाराणसी से

गोरखपुर खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 298(अ) जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-161 पर कांडी से तेलंगाना / महाराष्ट्र सीमा खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 305(अ) जो 18 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-75ड (नया एनएच-39) पर चुरहट बाईपास खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 304(अ) जो 18 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-62 और राष्ट्रीय राजमार्ग-07 पर मलोट-अबोहर-साधुवाली खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 306(अ) जो 18 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-709 पर रोहतक से पानीपत खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 328(अ) जो 19 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर रायगंज-डालखोला खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 8940/17/23]

(2) सड़क परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8941/17/23]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 8942/17/23]

(दो) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 8943/17/23]

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयों का लोचशील प्रचालन) विनियम, 2023 जो 30 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीईए-टीएच-17-13/4 /2022-टीईटीडी डिवीजन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8944/17/23]

(3) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 6027(अ) जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा संचालित करने की रीति और अंतराल) विनियमों के प्रवर्तन को अधिसूचित किया गया है।

(दो) ऊर्जा संरक्षण (जांच करने की रीति) (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 6028(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थैतिक भण्डारण टाइप के इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2022 जो 12 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीईई/एसएण्डएल/वाटर हीटर/3/2022-23 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीईई/एसएण्डएल/डीटी/01/22-23 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8945/17/23]

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) :** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8946/17/23]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** महोदय, श्री रामेश्वर तेली जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8948/17/23]

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) :** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8949/17/23]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 8950/17/23]

(दो) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 8951/17/23]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8952/17/23]

(ख) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8953/17/23]

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) :** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8954/17/23]

(2) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8955/17/23]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) : महोदय, इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु जी की ओर से, मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 8956/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, श्री शान्तनु ठाकुर जी की ओर से, मैं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 8957/17/23]

---

